

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही

प्रार्थी/अपीलांत

बनाम


अप्रार्थी/ रेस्पोजेन्ट

श्री रामलाल सांखला पुत्र श्री धुडाराम
जाति जटिया
निवासी जटियावास रामदेव मंदिर के पास, सिरौही
तहसील सिरौही जिला सिरौही
किस्म मुकदमा- अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

लोक सूचना अधिकारी
जिला रसद अधिकारी
सिरौही

मुकदमा नं. 12 वर्ष 2019

दिनांक हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
02.07.2019	<p>अपीलांत ने यह प्रथम अपील रेस्पोजेन्ट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांत द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी को दिनांक 11.2.2019 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि राजकीय सेवा में जिला रसद अधिकारी पद पर कार्यरत अधिकारी के क्या कर्तव्य है। गजट प्रकाशित नियमों की एवं सूचना चाहने के लिए किये गये आवेदन में आवेदक द्वारा चाही गई समस्त सूचनाओं की प्रमाणित प्रतिलिपि से संबंधित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।</p> <p>मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांत द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है। अपीलांत द्वारा लोक सूचना अधिकारी को दिनांक 11.2.2019 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि राजकीय सेवा में जिला रसद अधिकारी पद पर कार्यरत अधिकारी के क्या कर्तव्य है। गजट प्रकाशित नियमों की एवं सूचना चाहने के लिए किये गये आवेदन में आवेदक द्वारा चाही गई समस्त सूचनाओं की प्रमाणित प्रतिलिपि से संबंधित को चाही गई समस्त सूचना उन्हें निर्धारित समयावधि में उपलब्ध नहीं कराई गई है। अतः अपीलांत की अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी जिला रसद अधिकारी, सिरौही को आदेशित किया जाता है कि अपीलांत को चाही गई समस्त सूचना तत्काल उपलब्ध करावें। यदि सूचना देना नियमों में संभव नहीं हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांत को सूचित करें। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	


(सुरेन्द्र कुमार सोलंकी)
जिला कलक्टर, सिरौही